

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 22/2015

बउनवान

सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल जिला-बारां (राज०)

(प्रार्थी)

बनाम



1. बद्रीलाल पुत्र
2. धनपाल पुत्र
3. साहबलाल पुत्र
4. उत्तमचन्द पुत्र
5. लेखराज पुत्र
6. हरिमोहन पुत्र
7. रामजानकी बाई बेवा लच्छीराम जातिगण मीणा निवासीगण महुआ तहसील मांगरोल(मृतक)
8. रमेशबाई पुत्री लच्छीराम मीना पत्नि कन्हैयालाल मीना ग्राम बालून्दा तहसील मांगरोल
9. रूपलीला बाई पुत्री लच्छीराम मीना पत्नि रामेश्वर मीना एल-61 बंगला नंबर 5 रेल्वे हॉस्पिटल के पास अजमेर 305001
10. प्रकाशबाई पुत्री लच्छीराम मीना पत्नि अमरलाल मीना ग्राम माथना तहसील व जिला बारां (अप्रार्थीगण)

रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :- 1. परोकार सरकार

(प्रार्थी)

2. श्री जयेश सक्सेना अभिभाषक (अप्रार्थी कम 1 ता 6, 8 ता 10)

आदेश दिनांक- 23.09.2024

1- प्रार्थी सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंस प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में विवादित आराजी ख०नं० 45 रकबा 0.98 है., (बाद केचमेन्ट वर्ष 2008-09 में 0.03 है. सामान्य कटौती की जाकर कायम नवीन खसरा नंबर 1285 रकबा 0.95 है.) किस्म नहरी I 745 रकबा 0.30 है. किस्म नहरी II, 746 रकबा 0.03 है. किस्म नहरी II वाके ग्राम महुआ तहसील-मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067-70 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014-23 में खसरा नंबर मि. 26 रकबा 6 बीघा तथा खसरा नंबर 235 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। खसरा नंबर मि. 26 रकबा 6 बीघा तथा खसरा नंबर 235 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख०नं० 45 रकबा 0.98 है., (बाद केचमेन्ट वर्ष 2008-09 में 0.03 है. सामान्य कटौती की जाकर कायम नवीन खसरा नंबर 1285 रकबा 0.95 है.) किस्म नहरी I 745 रकबा 0.30 है. किस्म नहरी II, 746 रकबा 0.03 है. किस्म नहरी II कायम किये जाकर उक्त भूमि अवैधानिक रूप से लच्छीराम पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी महुआ के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2067-70 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनारस सरकार में माननीय

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनों को विधि विरुद्ध मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये हैं।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 6 व 8 ता 10 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए तथा जवाब इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी द्वारा नितान्त असत्य व मनगढ़न्त आधारों पर कार्यवाही पेश की है जो निरस्तनीय है। प्रार्थीगण अपनी ही आराजी पर काबिज काश्त हैं और हमारी आराजी पर काश्तकारी कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस आराजी के अलावा हमारे पास कोई आराजी जीविकोपार्जन हेतु नहीं है। प्रार्थीगण गरीब काश्तकार हैं और काश्तकारी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमावें।

3- उक्त जवाब पेश होने पर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष परोकार सरकार एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी। दौराने बहस परोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2014-23 में खसरा नंबर मि. 26 रकबा 6 बीघा तथा खसरा नंबर 235 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई के नवीन ख0नं0 45 रकबा 0.98 है., (बाद केचमेन्ट वर्ष 2008-09 में 0.03 है. सामान्य कटौती की जाकर कायम नवीन खसरा नंबर 1285 रकबा 0.95 है.) किस्म नहरी I 745 रकबा 0.30 है. किस्म नहरी II, 746 रकबा 0.03 है. किस्म नहरी II कायम कर अवैधानिक रूप से लच्छीराम पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी महुआ के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2067-70 अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा-82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4- दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी का आवंटन आवंटन अधिकारी द्वारा मौके की स्थिति की जानकारी लेकर भूमि आवंटन योग्य पाये जाने पर ही नियमानुसार आवंटित की गई थी। मौके पर कोई तलाई मौजूद नहीं थी और ना वर्तमान में मौके पर कोई तलाई है। वर्तमान में अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त हैं तथा उक्त आराजी अप्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र साधन है। मौके पर भूमि समतल तथा कृषि योग्य है तथा वहां पर तलाई का कोई नामोनिशान मौजूद नहीं है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।



(Signature)
जिला कलक्टर
धारा (रख०)

हमने परोकार सरकार व अप्रार्थी अभिभाषक की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उक्त रिकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी संवत् 2014-23 ग्राम महुआ में विवादित आराजी खसरा नंबर मि. 26 रकबा 6 बीघा तथा खसरा नंबर 235 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका लच्छीराम पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी महुआ को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत् 2044-63 नये खसरा नम्बर 45 रकबा 0.98 है., (बाद केचमेन्ट वर्ष 2008-09 में 0.03 है. सामान्य कटौती की जाकर कायम नवीन खसरा नंबर 1285 रकबा 0.95 है.) किस्म नहरी I 745 रकबा 0.30 है. किस्म नहरी II, 746 रकबा 0.03 है. किस्म नहरी II बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार लच्छीराम पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी महुआ को जिस वक्त भूमि आवंटन/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। लच्छीराम पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी महुआ को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरुद्ध हुआ है।


6- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरुद्ध मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7- परिणास्वरूप, प्रार्थी जयें तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेंस प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम महुआ में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 0.98 है., (बाद केचमेन्ट वर्ष 2008-09 में 0.03 है. सामान्य कटौती की जाकर कायम नवीन खसरा नंबर 1285 रकबा 0.95 है.) किस्म नहरी I 745 रकबा 0.30 है. किस्म नहरी II, 746 रकबा 0.03 है. किस्म नहरी II जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा मि. 26 रकबा 6 बीघा तथा खसरा नंबर 235 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका लच्छीराम पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी महुआ को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-82 के अन्तर्गत रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8- तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंस होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रिकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 23.09.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।




(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर, बारा
(राज.)